

पत्रांक: BMSIC/45025/318-2021/0711

दिनांक: 07.02.2025

कार्यालय आदेश

राज्य के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से निविदा सं० BMSICL/2020-21/ME-203 द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया (GMCH, Bettiah) के लिए Public Private Partnership Mode के आधार पर MRI Machine के अधिष्ठापन, संचालन एवं रख-रखाव हेतु निविदा प्रकाशित की गई थी। निविदा के निष्पादन के फलस्वरूप उद्भूत दर (21.11% on CGHS Rate) के आधार पर M/s Medion Diagnostics Pvt. Ltd. को सफल (H-1) फर्म घोषित करते हुए निगम पत्रांक 8348, दिनांक 01.02.2022 द्वारा Letter of Intent (LOI) निर्गत किया गया था। LOI निर्गत करने के उपरान्त फर्म द्वारा संस्थान के साथ एकरारनामा करने में विलंब किया गया, जिसके लिए फर्म को निगम के पत्रांक 4728, दिनांक 08.09.2023 द्वारा प्रथम Show Cause निर्गत किया गया किन्तु फर्म द्वारा जब एकरारनामा नहीं किया गया तो निगम के पत्रांक 9239, दिनांक 06.02.2024 द्वारा पुनः द्वितीय Show Cause निर्गत करते हुए फर्म को निदेशित करते हुए अवगत कराया गया कि GCC कंडिका-19 **Delay in the service provider's performance** की अवहेलना है। कंडिका-19 के अनुसार "19.1 The service provider shall deliver the goods and perform the services under the contract within the time schedule specified by the Tender Inviting Authority in the Schedule of Requirements and as incorporated in the contract.

19.2 Any unexcused delay by the service provider in maintaining its contractual obligations towards delivery of goods and performance of services shall render the service provider liable to any or all of the following sanctions:

- Imposition of liquidated damages,
- Forfeiture of its performance security and
- Termination of the contract for default.

19.3 If at any time during the currency of the contract, the service provider encounters conditions hindering timely delivery of the goods and performance of services, the service provider shall promptly inform the District Hospital in writing about the same and its likely duration and make a request to the District Hospital for extension of the Installation schedule accordingly. On receiving the service provider's communication, the District Hospital shall examine the situation as soon as possible and, at its discretion, may agree to extend the delivery schedule, with or without liquidated damages for completion of service provider's contractual obligations by issuing an amendment to the contract."

साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि एकरारनामा नहीं करने के कारण नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। तदोपरान्त फर्म द्वारा दिनांक 08.07.2024 को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया (GMCH, Bettiah) के साथ द्विपक्षीय एकरारनामा पर हस्ताक्षर किया गया। एकरारनामा करने से पूर्व फर्म को Performance Security के रूप में 10 लाख रुपये की Bank Gurranty निगम को समर्पित की जानी थी। किन्तु फर्म द्वारा अभीतक निगम को Performance Security समर्पित नहीं की गई है और ना ही एकरारनामा की शर्त के अनुसार 120 दिन व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभीतक मशीन का अधिष्ठापन नहीं किया गया। जिसके लिए फर्म को निगम के पत्रांक 8791, दिनांक 24.12.2024 को अंतिम Show Cause निर्गत करते हुए निदेशित किया गया कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया (GMCH, Bettiah) में 15 दिनों के अंदर MRI Machine के अधिष्ठापन की यथाशीघ्र कार्रवाई करना सुनिश्चित करें अन्यथा निविदा शर्तों के उल्लंघन करने के आलोक में आपके फर्म को 03 वर्षों हेतु Debar/Blacklist कर दिया जायेगा। किन्तु 15 दिन व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी फर्म द्वारा अधिष्ठापन हेतु किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जो कि अत्यंत खेदजनक है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया (GMCH, Bettiah) में MRI Machine की सुविधा नहीं होने के कारण सभी वर्ग के मरीजों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।



अतः फर्म M/s Medion Diagnostics Pvt. Ltd. द्वारा निगम के निदेशों का अवहेलना एवं निविदा के शर्तों का उल्लंघन का दोषी पाये जाने के कारण फर्म द्वारा Bank Guarranty के रूप में समर्पित Earnest Money Deposit (EMD) की राशि को जब्त करते हुए निगम के किसी भी निविदा में भाग लेने हेतु अगले 01 वर्ष के लिए Debar किया जाता है। इस आदेश का निगम द्वारा M/s Medion Diagnostics Pvt. Ltd. को पूर्व में दिये गये किसी भी कार्यादेश एवं अनुबंध पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।



प्रबंध निदेशक

